राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 6321/2022

डॉ. नीरज कुमार शर्मा –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय, जयपुर।
4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्लॉक सांगानेर, जयपुर द्वितीय।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 12.12.2022
आदेश की दिनांक : 06.11.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी के पद पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेक्टर–6, प्रताप नगर, ब्लॉक सांगानेर, जयपुर द्वितीय में कार्यरत है। अपीलार्थी का आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–4) के द्वारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेक्टर–6, प्रताप नगर, ब्लॉक सांगानेर, जयपुर द्वितीय से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परासोली, बेंगू, जिला चित्तौड़गढ़ में स्थानान्तरण किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण में अपील संख्या 4710/2022 दायर की गई, जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 03.11.2022 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में आगामी आदेश तक स्थगन आदेश पारित किया गया और वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही कार्यरत रहने के के आदेश दिए गए। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 04.11.2022 (अनुलग्नक–5) द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 24.11.2022 (अनुलग्नक–6) द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी का माह जुलाई से वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है। अतः अपीलार्थी

का माह जुलाई से वेतन आहरण किया जावे। परन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को दिनांक 15.07.2022 से 05.12.2022 तक 18 प्रतिशत ब्याज सहित वेतन दिया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में अधिकरण के स्थगन आदेश से चिकित्सा अधिकारी के पद पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेक्टर–6, प्रताप नगर, ब्लॉक सांगानेर, जयपुर द्वितीय में कार्यरत है। आदेश दिनांक 03.09.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेक्टर–6, प्रताप नगर, ब्लॉक सांगानेर, जयपुर द्वितीय से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परासोली, बेंगू, जिला चित्तौड़गढ़ किया गया। अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 03.11.2022 के द्वारा स्थगित कर दिया गया और अपीलार्थी को उसी स्थान पदस्थापित करने के आदेश भी दिए गए थे, जिसकी पालना में अपीलार्थी को उक्त आदेश जारी होने से पूर्व जहां पर वह कार्यरत था, उसे वही पदस्थापित किया गया। बहस के दौरान बताया कि अपीलार्थी को माह नवम्बर, 2022 से वेतन नहीं दिया जा रहा है। हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की सेवाएं जिस पदस्थापन स्थान से ली जा रही हैं। अपीलार्थी उक्त सेवाओं का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को वेतन नहीं दिया जाना सेवा नियमों एवं विधि के विरूद्ध प्रकट होता है। अतः प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी का वेतन किसी भी रिक्त पद से एक माह की अवधि में आहरित किया जाकर भुगतान किया जावे। इस निर्देश के साथ अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य